न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

अपील संख्या :– 147/2017 (धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956)

रामफूल पुत्र भागोत्या उर्फ भागीरथ जाति गुर्जर निवासी ग्राम बासडा तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर ।

.....**अपीलान्ट**

बनाम

1. गोदया पुत्र भागीरथ जाति गुर्जर निवासी बासडा कला हाल निवासी सी/ओ प्रद्युमन पुत्र अंगद गुर्जर निवासी बाडोलास तहसील व जिला सवाईमाधोपुर।
2. पुखराज पुत्र श्रीनारायण जाति गुर्जर निवासी बासडा तहसील चौथ का बरबाडा जिला सवाई माधोपुर।
3. तहसीलदार चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर।

.....**रैस्पोडेन्टस**

अपील विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, चौथ का बरवाडा दिनांक 29.10.2014 उनवानी रामफूल बनाम गोदया वगैरह प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम।

उपस्थितिः–

1. श्री आविद अली वकील अपीलान्ट।
2. श्री श्याम सुन्दर शर्मा वकील रैस्पोडेन्ट।
3. राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांकः– 01.02.2019

यह अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 29.10.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट/प्रार्थी ने उपखण्डाधिकारी चौथ का बरवाडा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध रैस्पोडेन्टस इस आशय का पेश किया था कि हाल खसरा नम्बर 37 व 314 व 315 के बजाय खसरा नम्बर 32, 33, व 34 (दक्षिण भाग) 1/2 भाग पर वहैसियत खातेदार का काबिज माना जाकर तदनुसार उक्त नम्बरान को अपीलान्ट के नाम खातेदारी में अंकित कर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती कराने बाबत अनुतोष चाह गया । बाद कार्यवाही तहत अदालत उपखण्डाधिकारी चौथ का बरबाडा द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.10.2014 से प्रार्थना पत्र धारा 136 एल आर एक्ट खारिज कर दिया गया । इस आदेश के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है।

यह कि अपीलान्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र रैस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के विरूद्ध बाबत इन्द्राजात आराजियात हाल खसरा नम्बर 37/314 व 315 के बजाय खसरा नम्बर 32, 33 व 34 (दक्षिण भाग) 1/2 भाग वहैसियत खातेदार काबिज माना जाकर तदनुसार उक्त नम्बरान को आवेदक के नाम खातेदारी में अंकित कर समस्त राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जावे। क्यों कि अपीलान्ट की खातेदारी भूमि का सेटलमेंट विभाग ने नक्शे का स्वरूप बदल दिया और प्रार्थी की खातेदारी को पृथक–पृथक स्थान पर दर्शा दिया गया है जो काबिले दुरूस्ती के है। लेकिन तहत अदालत ने दुरूस्ती की कार्यवाही न कर बेबुनियाद तथ्यों पर बिना किसी आधार के अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया है जो काबिले मंसूखी है। इसके अलावा तहसीलदार चौथ का बरवाडा से कोई रिपोर्ट तलब नहीं की गई न ही विपक्षीगण द्वारा इस संबध में कोई सन्तोषजनक जबाब दिया बाबजूद इसके अपीलान्ट का प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया गया है। अपीलान्ट के द्वारा तहत अदालत के समक्ष अस्थाई निषेधाज्ञा इसलिऐ चाह गया था कि रैस्पोडेन्ट गांव में विवादित आराजी को जो कि उनके कब्जे काश्त खातेदारी में दर्ज थी उसको गलत इन्द्राज सेटिलमेन्ट विभाग से हो जाने के कारण वह इस आराजी को बेचने पर उतारू थे और उन्होने अदालत तहत से साज करके गलत तरीके से इस भूमि का आखिर में दिनांक 17.11.2014 को विक्रय कर दिया जो विपक्षीगण के Conduct को जाहिर करता है कि वह सेटिलमेन्ट से साजकर गलत इन्द्राजात कराकर विवादित आराजी को बेचान करना चाहते थे। इन तमाम तथ्यों को नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिससे अपीलान्ट को सख्त हकतलफी हो रही है। इसके अलावा वकील अपीलान्ट का यह भी कहना है कि आराजी ख0नं0–1 रकबा लगभग 80 बीघा वाकै ग्राम बासडा में था जिसका आवंटन दिनांक 27.6.66 को सवाईमाधोपुर तहसीलदार द्वारा तकरीबन 12 आदमीयों को पृथक–पृथक आवंटन किया गया था जिसमें रघुनाथ, जंसी, मोहनलाल, रामफूल, प्रार्थी बद्री, मदनराणा, छीतर कुम्हार, राकुमार पुजारी, को 6–6 बीघा आवंटन हुई थी। प्रार्थी के खसरा नम्बर–1 में 6 बीघा भूमि इस तिथि में आवंटन की हुई थी और इस भूमि के पूर्व में बंजारी ग्राम जाने का रास्ता था पश्चिम में वन विभाग की सीमार उत्तर में गेंदया का खेत है दक्षिण में मोहनलाल गुर्जर का खेत था रैस्पोडेन्ट नम्बर 1 का खेत आवंटन के बाद खसरा नम्बर –1 में 1/6 तरमीम किया गया था। यह कि आवंटन के बाद यह भूमि अपीलान्ट की खातेदारी में आ गई बरवक्त आवंटन जो नक्शे में कोई मुस्तकिल तरमीम नहीं हुई थी लिहाजा जिस स्थान पर आवंटी को को कब्जा दिया था उस स्थान पर अपीलान्ट एवं अन्य व्यक्तियों की कब्जा रिपोर्ट तैयार होकर उनको कब्जा दे दिया गया था। खसरा नम्बर –1 का रकबा आवंटन के बाद प्रार्थी का खसरा नम्बर तरमीम होकर 1/5 हो गया और उसके खाते में यह रकबा 6 बीघा दर्ज हो गया। रैस्पोडेन्ट गेंदया उर्फ गोदया गूजर का जो आवंटन हुआ उसकी तरमीम आवंटन के बाद की जाकर नवीन खसरा नम्बर 1/6 रकबा 6 बीघा डाल दिया गया। इस प्रकार हर दो नम्बरान 1/5 व 1/6 अलग खेत हो गये तथा सीमा भी अलग हो गई। आज से लगभग 17 साल पूर्व सेटिलमेन्ट ने सर्वे प्रारम्भ किया और 1996 में पर्चा सेटिलमेन्ट अपीलान्ट के नाम दे दिया गया तथा अपीलान्ट पूर्ववत अपने नम्बरान पर काश्त करता चला आ रहा है। यह कि खसरा नम्बर 1/5 का नवीन नम्बर 32 बना दिया गया तथा अमीन ने खसरा नम्बर 1/5 का जो नवीन नम्बरान खसरा नम्बर 314 व 315 खसरा नम्बर बनाये व असल आवंटन के स्थान से एक कि0मी0 दूर बता दिया तथा यह खसरा नम्बर 314, 315 पर

Web Copy - Not Official

पुखराज पुत्र श्रीनाथ का पूर्व से ही कब्जा चला आ रहा था। जबकि पूर्व में यह खसरा नम्बर 314 रकबा 0.25 है0 तथा 315 रकबा 0.25 है की भूमि सिवायचक थी तथा खसरा नम्बर 32 का रकबा जो पूर्व 1/5 का भाग था उसको सिवायचक कर दिया। खसरा नम्बर 33 का रकबा 2 बीघा में प्रार्थी का बोर है और सिंचित भूमि है तथा पूरी 6 बीघा जमीन इससे सिंचित होती है तथा खसरा नम्बर 37 जो गोदया की भूमि होनी चाहिऐ थी उसको रामफूल की बतादी जो सरासर गलत तरमीम कर दी गई है। खसरा नम्बर 34 जिसमें 1/2 भाग रामफूल की दक्षिण दिशा में है उसकी बजाय खसरा नम्बर 37 में कब्जा बता दिया जो सरासर गलत है इस तरह खसरा नम्बर 32 जो खातेदारी का रकबा था उसको गलत तरीके से सिवायचक बता दिया किन्तु तहसीलदार से कोई रिपोर्ट इस संबध में तलब नहीं की गई। इस प्रकार बन्दोबस्त विभाग ने दौराने बन्तोबस्त अपीलान्ट के खेतों की भौतिक स्थिति को राजस्व रिकार्ड से बदल दिया नवीन बन्दोबस्त में ख0नं0 1/5 के खेत 33, 37, 314, 315 बना दिये गये जो मौके पर मौजूदा कब्जे से कतई मेल नहीं खाते हैं। जबकि अपीलान्ट का कब्जा आवंटन से लेकर आज तक एक ही चक में एक ही जगह रहा है जबकि नवीन नक्शे व जमाबन्दी में एक चक का अलग अलग विभाजन कर दिया तथा गलत तरीके से शीट में तरमीम कर दी गई। मौके पर आवेदक का कब्जा खसरा नम्बर 32, 33, 34 पर है जबकि मौजूदा सेटिलमेन्ट में उसको खसरा नम्बर 37, 314, 315 में बता दिया गया। जबकि यह बात अत्यन्त आश्चर्यजनक है कि खसरा नम्बर 314, 315 मौके पर उनके खेतो से 1 कि0मी0 दूर स्थित है जिस पर रैस्पोडेन्ट नम्बर–2 काबिज चला आ रहा है। खसरा नम्बर 32 को गलत तरीके से सिवायचक बता दिया गया है। इसी तरह खसरा नम्बर 32 को गलत तरीके से सिवायचक बता दिया गया है, इसी तरह खसरा नम्बर 34 के दक्षिणी आधे हिस्से पर अपीलान्ट की खातेदारी की बजाये उक्त पूरी भूमि रैस्पोडेन्ट नम्बर –1 के खाते में दर्ज कर दी है। यह कि अपीलान्ट ख0नं0 34 के आधे दक्षिणी हिस्से के अलावा खसरा नम्बर 32 व 33 पर काबिज है जहां उसका कब्जा खातेदारी अंकित नहीं की गई जबकि वह खसरा नम्बर 1/5 के उसी पूर्ववत भाग पर काबिज है। अपीलान्ट की खातेदारी खसरा नम्बर 34 आधे दक्षिणी भाग के अलावा 32,33 पर अंकित की जानी चाहिऐ थी जो गलत ढंग से 37 व 314, 315 पर अंकित कर दी गई। जिसकी दुरूस्ती हेतु तहत अदालत के समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रार्थनापत्र को निरस्त कर धारा 88 आर टी एक्ट कानून के तहत दावा दायर करने का निर्देश गलत प्रकार से दे दिया गया है जो काबिले मंसूखी है। आदेश को एकतरफा अपीलान्ट की बैक पर पारित किया गया है। वह जब 17.11.2014 को न्यायालय में पहूंचा तो उसको इस आलौच्य आदेश दिनांक 29.10.2014 का पता लगा और उसकी दरख्वास्त प्रस्तुत कर नकल प्राप्त की गई। अपीलान्ट वृद्ध किसान होने एवं पैरों की बाये के चलते वह दिनांक 29.11.2014 को अपील पेश नहीं कर सका किन्तु बीमारी से राहत मिलते ही श्रीमान के समक्ष बाद कार्यवाही अपील पेश की गई है। देरी क्षमा योग्य है जिसके लिये पृथक से धारा–5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहत अदालत का अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.10.2014 निरस्त किया जाकर उपरोक्तानुसार तरमीम किये जाने के आदेश पारित किये जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy, Not Official

रैस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता द्वारा तहत अदालत उपखण्डाधिकारी चौथ का बरवाडा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.10.2014 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। इस प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा जो अनुतोष चाहा गया है वह इस प्रार्थना पत्र धारा 136 एल आर एक्ट के तहत कवर नहीं हो सकता। यह प्रकरण नक्शे में शुद्धि करने का है। प्रभूलाल एवं अन्य बनाम रामजीलाल व अन्य –2008 आर0 आर0 डी0 पेज नम्बर 34, –2007 (2)आर0आर0टी 1224, –2007आर0बी0जे0 640, आर0एल0डब्लू 2007(2) आर0जे0 1202 में यह सिद्धान्ति प्रतिपादित किया गया है कि नक्शे में दुरूस्ती राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत नहीं की जा सकती । नक्शे में शुद्धि के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अंतर्गत वाद दायर कर ही अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में तहत अदालत द्वारा जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वह न्याय संगत है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर तहत अदालत का अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.10.2014 यथावत रखा जावे।

हमने वकील अपीलान्ट की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील में प्रथमतः प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम धारा–5 पर विचार किया गया। आर.आर.डी. 2002 पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि:–

> "Limitation Act,1963 Section 5&While considering the question of condonation of delay in filing of revision , appeal or reference by state Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merits of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large
> would be sufferer that makes a distinction and category of litigant state as compared to ordinary litigants"

तथा आर0बी0जे0 (4) 1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि–

"Liberal view should be Taken in Condoning The Delay in Filling The appeal"

इस प्रकार प्रकरण के गुणावगुण पर विचार कर निर्णय किया जाना उचित पाते है। अतः अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी के संदर्भ में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। प्रस्तुत अपील अपीलान्टस द्वारा तहत अदालत के आदेश दिनांक 29. 10.2014 अंतर्गत धारा 136 एल आर एक्ट के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। जिसके तहत अदालत द्वारा न्यायिक प्रक्रियाओं की पूर्ति बाद परीक्षण अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलान्ट द्वारा तहत अदालत के समक्ष 136 एल आर एक्ट प्रार्थना पत्र के अंतर्गत जो अनुतोष चाह गया है वह एल आर एक्ट की धारा 136 के तहत मेन्टेबल नहीं है। अपीलान्टस/प्रार्थी द्वारा तहत अदालत के समक्ष यह अनुतोष चाह है कि हाल खसरा नम्बर 37 व 314 व 315 के बजाय खसरा नम्बर 32, 33, व 34 (दक्षिण भाग) 1/2 भाग पर वहैसियत खातेदार का काबिज माना जाकर तदनुसार उक्त नम्बरान को अपीलान्ट के नाम खातेदारी में अंकित कर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती कराने बाबत अनुतोष चाह गया । राजकीय अधिवक्ता की ओर से उपर्युक्त माननीय हायर अदालतों द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांन्तों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया । वास्तव में भू राजस्व अधिनियम 1956

की धारा 136 एक समरी कार्यवाही है जिसमें मात्र कोई लिपिकीय त्रुटी जो वास्तव में सही हो विहित रीति से शुद्ध करने का प्रावधान है। राजकीय अधिवक्ता के इस कथन से हम सहमत है कि नक्शे में दुरूस्ती राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत नहीं की जा सकती नक्शे में शुद्धि के लिये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अंतर्गत ही वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। सैटिलमेन्ट समाप्ति के पश्चात चाह गया अनुतोष 136 एल आर एक्ट के तहत मेन्टेबल न नहीं रहता है। जैसा कि न्यायिक दृष्टान्त आर आर डी 1990 पृष्ठ संख्या 441 पर प्रतिपादित किया गया है कि '' Sub Divisional Officer had no right to correect settelmant record after close of settlement operation'' सैटिलमेन्ट समाप्ति के बाद पीडित पक्षकार के पास एक मात्र उपचार सक्षम न्यायालय में घोषणात्मक वाद पेश करना है। तहत अदालत द्वारा बाद परीक्षण पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसमें हम किसी प्रकार की कोई विधिक त्रृटी नहीं पाते है लिहाजा अपील अपीलान्ट खारिज योग्य ही रहती है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट द्वारा चाह गया अनुतोष प्रार्थना पत्र भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अंतर्गत न होने के कारण खारिज की जाती है तथा तहत अदालत उपखण्डाधिकारी चौथ का बरबाडा जिला सवाईमाधोपुर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.10.2014 में कोई विधिक त्रुटी न होने के कारण यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 01.02.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर मूथा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official